न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 23/19 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्रीमती प्रतापी बाई पुत्री दीपा पत्नी रोडा भील निवासी पालवास तह. मावली।
2. श्रीमती छगनीबाई पुत्री दीपा पत्नी भूरा भील निवासी धोलाखुन्टा तह. मावली।
3. श्री चेनराम पिता खुमा भील निवासी चीरवा हाल सांगवा तह. मावली।
4. श्री पेमा पिता खुमा भील निवासी चीरवा हाल सांगवा तह. मावली।
5. श्री पन्नालाल पिता खुमा भील निवासी चीरवा हाल सांगवा तह. मावली।
6. श्री राधुलाल पिता खुमा भील निवासी चीरवा हाल सांगवा तह. मावली।
7. श्रीमती टमुडी पुत्री खुमा पत्नी खुमा भील निवासी खादरा तह. गिर्वा।
8. श्रीमती भंवरी पुत्री खुमा पत्नी हेमा भील निवासी चीरवा हाल सांगवा तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री टिलाराम पिता रता भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
2. श्री गंगाराम पिता दीपा भील निवासी सांगवा तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 10.01.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा में स्थित कृषि भूमि परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1528 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम 2/3 हिस्से से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम पर अंकित हैं परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1529 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1531 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1533 रकबा 11 बिस्वा किता 3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम 2/3 हिस्से से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम पर अंकित हैं परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 1527 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1

के नाम 2/3 हिस्से से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम पर अंकित है।

2. उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं गंगाराम सं. 2 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक जायदाद है जो दीपा, जालमा पिता नेता के वक्त से चली आ रही है। हमारे खानदान का सजरा इस प्रकार है :–

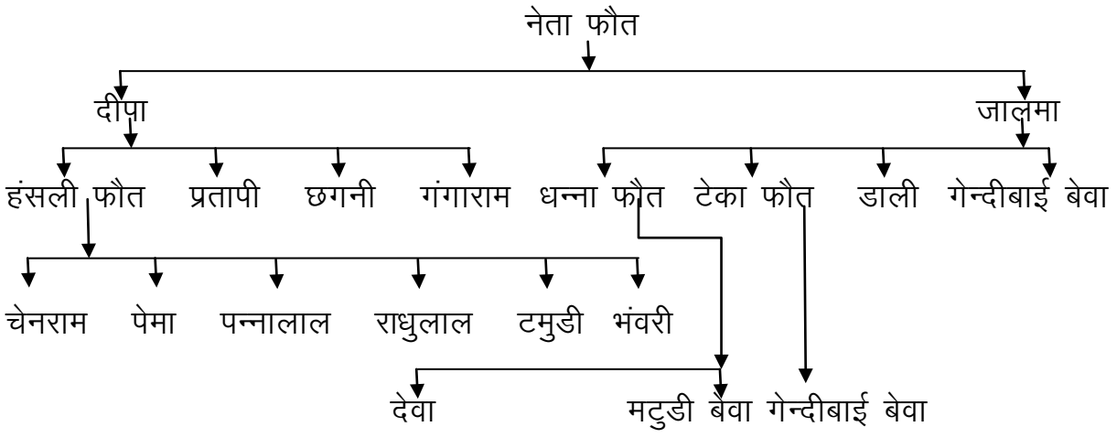

उक्त सजरे के अनुसार श्री नेता जी के दो पुत्र दीपा एवं जालमा हुए। दीपा के तीन पुत्रीयां हंसली, प्रतापी एवं छगनी हुई एवं एक पुत्र गंगाराम हुआ। इसी तरह जालमा के दो पुत्र धन्ना, टेका एवं डालीबाई हुई। दीपा की पुत्री हंसली फौत होने से उसके वारिश प्रार्थी चेनराम, पन्नालाल, राधुलाल, टमुडी, भंवरी हैं। इसी प्रकार जालमा के उत्तराधिकारी धन्ना, टेका, डाली बाई हुई। धन्ना फौत हो गया उसके वारिस पुत्र देवा व बेवा मटूडी हुए।

3. उक्त वर्णित आराजीयात में जालमा पिता नेता के हिस्से की भूमि का कोई विवाद नहीं है जिससे उन्हे इस मामले में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया हैं। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि का 2/3 हिस्सा, परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा एवं परिशिष्ट स में वर्णित भूमि में 22/92 हिस्सा की भूमि का खातेदार दीपा पुत्र नेता भील था। दीपा पिता जालमा जी के निधन के वक्त पुत्र सन्तान के रूप में गंगाराम एवं पुत्रीयां हंसली, प्रतापी, छगनीबाई जीवित थी और दीपा के निधन पर उनके नाम अंकित भूमि पुत्र गंगाराम एवं तीनो पुत्रियां हंसली, प्रतापी एवं छगनी में हिस्सा बराबर से विरासत से निहित हुई और इसी अनुसार उनका हक हिस्सा संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा था कि दीपा की पुत्री हंसली का निधन हो गया जिसके वारिस प्रार्थी चेनराम, पेमा, पन्नालाल, राधुलाल एवं पुत्रीयां टमुडी एवं भंवरी हैं। हंसली के हिस्से की भूमि उसके वक्त वारिसान का हक हिस्सा होकर संयुक्त कब्जा चला आ रहा हैं।

4. दीपा पिता नेता जी के निधन के वक्त विधिक वारिसान के रूप में उनके एक पुत्र गंगाराम, तीन पुत्रीयां हंसली, प्रतापी एवं छगनी मौजूद होकर जाईन्दा सन्ताने थी और उनका जन्म से ही उक्त भूमि में हक हिस्सा निहित था इसलिए उक्त परिशिष्ट अ की

भूमि में प्रार्थी प्रतापी का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी छगनी का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी 3 से 8 का 1/6 हिस्सा एवं विपक्षी गंगाराम का 1/6 हिस्सा, परिशिष्ट ब की भूमि में प्रार्थी प्रतापी का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी छगनी का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी 3 से 8 का 1/8 हिस्सा एवं विपक्षी गंगाराम का 1/8 हिस्सा एवं परिशिष्ट स की भूमि में प्रार्थी प्रतापी का 11/184 हिस्सा, प्रार्थी छगनी का 11/184 हिस्सा, प्रार्थी 3 से 8 का 11/184 हिस्सा एवं विपक्षी गंगाराम का 11/184 हिस्सा हक अधिकार है और इसी हक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज हो संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

5. वादग्रस्त भूमि दीपा पिता जालमा की विरासत से उपर वर्णित हक हिस्सेनुसार निहित हुई और इसी अनुसार हक हिस्सा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चला आ रहा है जिसका ज्ञान विपक्षी गंगाराम एवं हर आम खास को है फिर भी हम प्रार्थीगण को नाजायज नुकसान पहुचाने एवं स्वयं द्वारा नाजायज लाभ अर्जित करने की बदनीयत से विपक्षी सं. 2 गंगाराम ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर राजस्व रेकार्ड में मृतक दीपा के नाम अंकित कुलिया भूमि विरासत के नामान्तरकरण से अपने नाम अंकित करा ली जो नामान्तरकरण हम प्रार्थीगण के मकाबले शुरू से ही अवैध, अकृत होकर शुन्य प्रभावी है और ऐसे अवैध नामान्तरकरण के आधार पर विपक्षी गंगाराम को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नहीं होता हैं।

6. विपक्षी गंगाराम को इस बात का पता है कि वादग्रस्त भूमि में राजस्व रेकार्ड में वर्णित अनुसार उसका हक हिस्सा कब्जा नहीं है फिर भी विपक्षी सं. 2 गंगाराम ने विपक्षी सं. 1 के पक्ष में दिनांक 18.12.2015 को बिना प्रतिफल, बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के नुमाईशी विक्रय पत्र पंजीयन करा दिया एवं परिशिष्ट स में वर्णित आराजी का 7.12.15 को बिना प्रतिफल, बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के नुमाईशी विक्रय पत्र पंजीयन करा दिया जो शुरू से ही अवैध हो प्रार्थीगण के मुकाबले शुन्य है और ऐसे शुन्य विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी सं. 1 को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नहीं होता है और उक्त भूमि का प्रार्थीगण एवं विपक्षी गंगाराम के बीच अभी तक मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से कानूनी रूप से विभाजन भी किया हुआ नहीं हैं इसलिए जब तक वादग्रस्त भूमि बाबत् प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा होने के बाद विधिवत् कानूनी रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक विपक्षी सं. 1 अजनबी क्रेता को वादग्रस्त भूमि में प्रवेश करने, जबरन कब्जा करने, प्रार्थीगण को उनके संयुक्त उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

7. विपक्षी सं. 2 द्वारा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित उपरोक्त विक्रय पत्र छल कपट एवं बेईमानी पूर्वक अवैध रूप से निष्पादित किये गये हम प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भतः अवैध रूप से निष्पादित किये गये हम प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भतः अवैध हो शून्य प्रभावी है और वोईड हस्तान्तरण की तारिफ में आता है। उक्त भूमि पर फसल पिलाई

के लिए कुआ खुदा हुआ होकर उस पर विद्युत पंप सेट लगा होकर विद्युत कनेक्शन स्व. दीपा के नाम आज भी चला आ रहा है और बिजली बिल भी संयुक्त रूप से हम प्रार्थीगण सरकार को अदा कर रहे हैं। विपक्षी सं. 1 का वादग्रस्त भूमि के किसी भी अंश पर कोई कब्जा नहीं है और न एक पल के लिए कभी कब्जा रहा है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 की वादग्रस्त भूमि पर सदैव निवासरत रहते हुए फसल उपज घास फुस लकडिया आज भी पडी हुई है जिनका उपयोग कर रहे हैं। खाना भी उक्त भूमि पर बनाकर खा रहे हैं।

8. उक्त परिशिष्ट अ की भूमि में प्रार्थी प्रतापी का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी छगनी का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी 3 से 8 का 1/6 हिस्सा एवं विपक्षी गंगाराम का 1/6 हिस्सा, परिशिष्ट ब की भूमि में प्रार्थी प्रतापी का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी छगनी का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी 3 से 8 का 1/8 हिस्सा एवं विपक्षी गंगाराम का 1/8 हिस्सा एवं परिशिष्ट स की भूमि में प्रार्थी प्रतापी का 11/184 हिस्सा, प्रार्थी छगनी का 11/184 हिस्सा, प्रार्थी 3 से 8 का 11/184 हिस्सा एवं विपक्षी गंगाराम का 11/184 हिस्सा अधिकार एवं आधिपत्य चला आ रहा हैं लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम का अंकन नहीं होने से विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण के हक व अधिकारों को चुनोती दे रहा है एवं धमकी दे रहा है कि वह विपक्षी सं. 3 के सहयोग से वादग्रस्त भूमि ऐसे लोगों को बेच देगा जो जबरन प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय में मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना न्यायहित में आवश्यक हो गया हैं।

9. विपक्षीगण हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से बाबत नुमाईशी हस्तान्तरण के आधार पर हमारे खातेदारी अधिकारों को चुनोती देने लगे है जिससे विपक्षी को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है कि वो वादग्रस्त भूमि को दौराने वाद रहन बेह बक्षीस आदि तरिकों से हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण को उनके संयुक्त भोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करे, शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, जबरन प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, पत्थर की कोट आदि को कोई क्षति नहीं पहुंचावे। समपरिवर्तन नहीं करे। भूमि की शक्ल तबदील नहीं करने। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिये जाने से उन्हे किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

10. अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूल वाद आज ही इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी दौराने वाद रहन बेह बक्षीस आदि तरीको से हस्तान्तरित नहीं करे,

प्रार्थीगण को उनके संयुक्त भोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करे, शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, जबरन प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, पत्थर की कोट आदि को कोई क्षति नहीं पहुंचावे। समपरिवर्तन नहीं करे। भूमि की शक्ल तबदील नहीं करे। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, वे स्वयं यह कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर एजेन्ट या कुटुम्बी से ही करावे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

11. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

12. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन—* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी सं. 1 खातेदार हैं। प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया गया हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति—* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 1 खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। इसलिए उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी सं. 2 के नाम दर्ज थी जिसे विपक्षी सं. 2 ने विपक्षी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2015 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया हैं। वर्तमान में प्रार्थनाग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति बताकर दीपा के विरासत से विपक्षी

सं. 2 के नाम दर्ज होना बताया हैं जबकि प्रार्थीगण द्वारा पैतृक भूमि व विरासत के नामान्तरकरण का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। रहा प्रश्न प्रार्थीगण के पैतृक भूमि में हक अधिकारों की घोषणा के बिन्दु का तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय किया जा सकता हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में इस बिन्दु को इस स्तर पर तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 2 होने से विपक्षी सं. 2 द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विपक्षी सं. 1 को विक्रय कर दी है वर्तमान में प्रार्थनाग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि को क्रय कर खातेदार बने हैं। जिससे विपक्षी सं. 1 प्रकरण में सद्भावी क्रेता हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार विपक्षी सं. 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुवे हैं। खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। पैतृक भूमि में घोषणा के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 12:00:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: